न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-टि.ए.83/2016
पंजीयन दिनांक 29.09.2016

(1). माधूलाल पिता मोहनलाल जाति कुमावत निवासी किशन करेरी तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). भैरूलाल पिता मोहनलाल जाति कुमावत निवासी किशन करेरी तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(3). कालूलाल पिता नाथूलाल जाति कुमावत निवासी किशन करेरी तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-अपीलांट्गण

बनाम

ऊंकार पिता धनराज जाति ब्राहम्ण निवासी किशन करेरी तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगला प्रकरण संख्या 18/2010 निर्णय एवं आदेश दिनांक 10.05.2016

उपस्थित वक्त बहस-(1). दिनेश दायमा-अधिवक्ता अपीलांट्गण
(2). मदन त्रिपाठी-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांक 14.07.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए जाप्ता दीवानी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा किशन करेरी तहसील डूंगला में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी संख्या 640 रकबा 1.51 हैक्टेयर स्थित है, जिसमें प्रार्थी रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

का 4/48 हक हिस्सा निहित है तथा सहखातेदारान ने आपसी सहमति से मौके पर बंटवाड़ा कर रखा है। प्रार्थी अपने 4/48 हक हिस्से पर तन्हा काबिज होकर काश्त कर रहा है। विपक्षीगण अपीलांट्गण, प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की आराजी संख्या 640 में प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नही करने हेतु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के प्रकरण संख्या 178/2006 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2007 के द्वारा जारी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद होने के बावजूद न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करते हुए प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की संयुक्त खातेदारी की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के हिस्से पर अवैध कब्जा किया जा चुका है। अन्त में विपक्षीगण अपीलांट्गण के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाकर सिविल कारावास की सजा दी जाकर, विपक्षीगण अपीलान्ट्गण के अवैध निर्माण को गिरवाया जाकर, विपक्षीगण अपीलांट्गण को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात से बेदखल किया जाकर, प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का कब्जा पुनः बहाल किये जाने का अनुतोष चाहा, तथा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2007 की पालना कराने की प्रार्थना की।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2016 को निर्णित किया जाकर विपक्षीगण अपीलांट्गण को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2007 के द्वारा जारी स्थाई निषेधाज्ञा का उल्लंघन किये जाने का दोषी मानते हुए विपक्षीगण अपीलांट्गण को एक माह के भीतर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की संयुक्त खातेदारी की उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात आराजी संख्या 640 रकबा 1.51 हैक्टेयर में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के 4/48 हिस्से में विपक्षीगण अपीलांट्गण द्वारा किये गये अवैध निर्माण व कब्जे को स्वयं उनके द्वारा हटाये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया जाकर विपक्षीगण अपीलांट्गण द्वारा किये गये अवैध निर्माण व कब्जे को नहीं हटाये जाने की स्थिति में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को अवैध निर्माण व कब्जा हटाने बाबत पुलिस इमदाद लेकर विपक्षीगण अपीलांट्गण को उसके हक हिस्से में किये कब्जे से बेदखल कर कब्जा लिए जाने, साथ ही विपक्षीगण अपीलांट्गण को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2007 की

अवहेलना करने के आरोप मे दोषी करार दिया जाकर एक माह का सिविल कारावास भुगतने का आदेश प्रदान करते हुए सिविल कारागार का खर्चा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा जमा कराये जाने व विपक्षीगण अपीलांट्गण को एक माह का सिविल कारावास भुगतने हेतु वारण्ट के जरिये तलब किया जाकर सिविल कारावास की सजा भुगतायी जाने का निर्णय एवं आदेश पारित किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 10.05.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांगण विपक्षीगण ने यह अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट प्रार्थी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया व पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्गण विपक्षीगण ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2007 की अवहेलना किये जाने के कारण अपीलांट्गण विपक्षीगण को दिनांक 10.05.2016 को एक माह के सिविल कारावस से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है जबकि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2007 को न्यायालय हाजा के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.04.2013 द्वारा पूर्व में ही अपास्त किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जा चुकी है। जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली दिनांक 01.01.2018 को पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर दिनांक 24.09.2019 को रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का वादपत्र निरस्त कर दिया है, जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित मौजूदा निर्णय व आदेश दिनांक 10.05.2016 अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही अपीलांट विपक्षी संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट प्रार्थी की आराजी संख्या 640 मे से उसके 4/48 हिस्से वाली भूमि में से 1/4 हिस्सा अर्थात 1/48 हिस्सा जरिये विक्रय अनुबन्ध कय कर प्रतिफल अदा कर दिनांक 05.11.2003 को कब्जा प्राप्त कर चुका है, तभी से अपीलांट विपक्षी संख्या 1 उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर मकान बनाकर निवासरत है। इसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकट से अन्य अपीलांट्गण उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात में से भूखण्ड जरिये विकय पत्र कय कर पक्का मकान बनाकर वर्ष 2000 से निवासरत है। अपीलांट्गण विपक्षीगण न तो अतिक्मी है ओर न ही उनके द्वारा जबरन आधिपत्य किया गया है, जिससे अधिनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 10.05.2016 निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 178/2006 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2007 द्वारा जारी स्थाई निषेधाज्ञा से अपीलांट्गण विपक्षीगण को पाबंद किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलांट्गण विपक्षीगण द्वारा अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई, जिसके प्रकरण संख्या डिक्री/205/2007 के रूप में दर्ज होकर उक्त अपील अपीलांट्गण विपक्षीगण के पक्ष में दिनांक 30.04.2013 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2007 को अपास्त करके प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विपक्षीगण अपीलांट्गण के विरूद्ध जारी स्थाई निषेधाज्ञा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.04.2013 के द्वारा निरस्त की जा चुकी थी, फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 30.04.2013 की अनदेखी करते हुए अपीलांट्गण विपक्षीगण को उक्त स्थाई निषेधाज्ञा के उल्लंघन का दोषी मानकर निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट्गण विपक्षीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 10.05.2016 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी। दौराने बहस अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में रेस्पोडेन्ट प्रार्थी के 4/48 हिस्से में दखलंदाजी नहीं करने व किसी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं करने हेतु अपीलांट्गण विपक्षीगण को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के प्रकरण संख्या 178/2006 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2007 द्वारा जारी स्थाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्गण विपक्षीगण को उक्त स्थाई निषेधाज्ञा का उल्लंघन किये जाने पर न्यायालय के आदेशो की अवहेलना का दोषी मानते हुए निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत होने से फेरबदल किया जाना न्यायोचित नही है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का वादपत्र दिनांक 22.06.2007 को स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट वादी का 4/48 हिस्सा विवादित कृषि आराजीयात में मानते हुए। अपीलांट्गण विपक्षीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है। उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2007 के विरूद्ध प्रथम अपील इस न्यायालय में अपीलांट्गण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत की गई, जो इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.04.2013 से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित की गई, जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 01.01.2018 को प्रतिप्रेषित आदेश की पालना मे प्रकरण पुनः पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 24.09.2019 को प्रकरण संख्या 01/2018 से वादपत्र वादी रेस्पोडेन्ट निरस्त किया गया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2007 की अवहेलना मानते हुए दिनांक 10.05.2016 को नवीन निर्णय पारित किया है। जबकि रेस्पोडेन्ट वादी का मूल वादपत्र प्रकरण संख्या 01/2018 दिनांक 24.09.2019 से निरस्त किया जा चुका है, जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2007 अस्तित्व में नहीं है, जिससे उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2007 की अवहेलना मानते हुए दिनांक 10.05.2016 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह न्यायोचित नहीं होने से अपीलांट्गण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण विपक्षीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगला प्रकरण संख्या 18/2010 निर्णय व ओदश दिनांक 10.05.2016 निरस्त किया जाता हे।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)